संख्या-131/2023/।/424064/2023/002-71-2099-255-2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 नवम्बर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के विस्तार सम्बन्धी प्रायोजना के अन्तर्गत निर्मित हो रहे भवन को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक हॉस्पिटल एवं ऑफिस फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना कार्य पर जी0एस0टी0 मद की धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-7489/योजना अनु/2023, दिनांक 10.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ के विस्तार सम्बन्धी प्रायोजना के अन्तर्गत निर्मित हो रहे भवन को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक हॉस्पिटल एवं ऑफिस फर्नीचर कार्य के क्रय/स्थापना की अनुमोदित लागत रू0 2,49,83,820 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार) के क्रम में हॉस्पिटल एवं आफिस फर्नीचर की निविदा की लागत के अनुसार देय जी0एस0टी0 रू0 42,32,197/- (बयालीस लाख बत्तीस हजार एक सौ सत्तानबे रूपए) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ के विस्तार सम्बन्धी प्रायोजना के अन्तर्गत निर्मित हो रहे भवन को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय के वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रायोजना के अन्तर्गत अत्यन्त आवश्यक हॉस्पिटल एवं ऑफिस फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना कार्य के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 42,32,197/-(बयालीस लाख बत्तीस हजार एक सौ सत्तानबे रूपए) (अनुदान संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31 से रू0 33,43,436/- एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 8,88,761/-) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023 231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
8) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।
9) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 33,43,436 (रुपये तैंतीस लाख तैंतालीस हजार चार सौ छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 8,88,761 (रुपये आठ लाख अट्ठासी हजार सात सौ इकसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या- उपरोक्त-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
2. **प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
3. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।**
4. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
5. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
6. **नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**
7. **वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।**
8. **वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।